न्यायमूर्ति टी. एच. बी. चलपति से समक्ष,

शिशपाल,-अपीलार्थी

बनाम

समर सिंह और अन्य,-उत्तरदाता

आर. एस. ए. 3365 of 1998

12 नवंबर, 1998

सिविल प्रक्रिया संहिता, *1908* -- आदेश *12* नियम *6* -- दावे को स्वीकार करना -- क्या न्यायालय डिक्री पारित करने के लिए बाध्य है।

अभिनिर्धारित है कि सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 12 नियम 6 न्यायालय को अभिस्वीकृति के आधार पे डिक्री देने में सक्षम बनाता है। लेकिन न्यायालय प्रतिवादी द्वारा केवल अभिस्वीकृति किए जाने के आधार पर डिक्री पारित करने के लिए बाध्य नहीं है। आदेश 12 नियम 6 केवल एक समर्थकारी प्रावधान है। यह देखना न्यायालय का कर्तव्य है कि क्या वादी मांगी गई राहत कानून के तहत प्राप्त करने का हकदार है। न्यायालय को यह भी देखना चाहिए कि क्या यह मुकदमा स्टाम्प अधिनियम, पंजीकरण अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम या सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक नीति आदि से संबंधित किसी अन्य कानून के प्रावधानों को विफल करने के लिए कपटपूर्ण तो नहीं है। पक्षकारों की अभिस्वीकृति क़ानून को अधिभावी नहीं कर सकती है।

(पैरा 6)

हिंदू कानून - पारिवारिक समझौता - पूर्व-अपेक्षित शर्तें ।

अभिनिर्धारित है कि परिवार के सदस्यों के बीच या जब आपस में कोई विवाद हो तो ऐसी स्तिथि में पारिवारिक समझौता किया जा सकता है। पारिवारिक समझौता इस धारणा पर आधारित है कि पक्षों का कोई पूर्ववर्ती अधिकार निहित है जिसे समझौता स्वीकार करता है और परिभाषित करता है कि वह अधिकार क्या है। प्रत्येक पक्ष अपने हिस्से में आने वाली संपत्ति के अलावा अन्य सभी दावों को छोड़ देता है और दूसरों के अधिकार को मान्यता देता है।

(पैरा 3)

आर. एस. मित्तल, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित मेजर सुधीर मित्तल,

अपीलार्थियों के अधिवक्ता।

निर्णय

न्यायमूर्ति, टी. एच. बी. चलपति, *(*मौखिक*)*

(1) याचिकाकर्ता वादिगण हैं। याचिकर्ता ने अपने चाचा ज्ञानी राम के विरुद्ध स्वामित्व की घोषणा का वाद इस आधार पे दायर किया कि वे उसकी देखभाल करते थे और मुकदमा दायर करने से लगभग छह महीने पहले, ज्ञानी राम ने पारिवारिक समझौते के तहत संपत्ति उनके नाम दकर दी। उक्त मुकदमे में ज्ञानी राम पेश हुए और वादी के पक्ष में संपत्ति के हस्तांतरण को स्वीकार करते हुए एक लिखित जवाब दावा दायर किया और एक बयान भी दर्ज

कराया। मुक़दमे में आदेश पारित होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। ज्ञानी राम के पोते (बेटी के बेटे) को उनके कानूनी प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया। कानूनी प्रतिनिधि द्वारा पुनः अलग लिखित जवाब दावा दायर करना चाहा गया, जिस पर वादी द्वारा यह आपत्ति जताई गई कि कानूनी प्रतिनिधि मूल प्रतिवादी, जिसकी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी, से अलग अभिवक नहीं कर सकता। विचारणीय न्यायालय द्वारा आपत्ति को सही माना गया था। परंतु निचली अदालत ने मुकदमे को इस आधार पर खारिज कर दिया की ज्ञानी राम के जीवनकाल के दौरान याचिकाकर्ता का पारिवारिक समझौते के आधार पर मुकदमे की संपत्ति में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं बनता। इसी से व्यथित होकर वादी ने अपील की जो असफल रही। अतः वादिगण द्वारा प्रस्तुत दूसरी अपील प्रेषित की गई।

(2) वादी-अपीलार्थिगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि मूल प्रतिवादी ग्यानी राम द्वारा वादी के दावे को स्वीकार किया गया और अदालत द्वारा यह पाया गया कि ग्यानी राम का कानूनी प्रतिनिधि मूल प्रतिवादी द्वारा ली गई याचिका के विपरीत याचिका लेते हुए एक अलग जवाब दावा दायर नहीं कर सकता है, ऐसी स्तिथि में वादी का वाद डिक्री किया जाना चाहिए था।

(3) मैं वादी-अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क से असहमत हुं। यह स्वीकृत तथ्य है की वाद संपत्ति ज्ञानी राम की थी। उसके जीवनकाल में, वादी का वाद संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। इस संबंध में कोई पारिवारिक समझौता नहीं हो सकता। परिवार के सदस्यों के बीच या आपस में विवाद होने पर पारिवारिक समझौता किया जा सकता है। जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा *साहु माधो दास और अन्य बनाम मुकंद राम और एक अन्य* [1] मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पारिवारिक समझौता इस धारणा पर आधारित है कि पक्षों में किसी प्रकार का पूर्ववर्ती अधिकार नियोजित है जिसे समझौता स्वीकार करता है और परिभाषित करता है कि वह अधिकार क्या है। प्रत्येक पक्ष अपने हिस्से में आने वाली संपत्ति के अलावा सभी संपत्ति पर दावों को छोड़ देता है और दूसरों के अधिकार को मान्यता देता है।इस संबंध में *मातुरी पल्लैया बनाम मातुरी नरसिम्हम और अन्य*[2] और *काले बनाम डाय समेकन निदेशक* [3] का संदर्भ लिया जा सकता है। । यहां संपत्ति को लेकर कोई विवाद नहीं है। यश स्वीकृत है कि वह विशिष्ट रूप से ज्ञानी राम की थी। यदि ज्ञानी राम अपने जीवनकाल के दौरान अपनी पूरी संपत्ति वादी को देना चाहते थे, तो ऐसा हस्तांतरण केवल दान या सेटलमेंट डीड द्वारा किया जा सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ़ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 123 के तहत, दान केवल दो गवाहों द्वारा सत्यापित एक पंजीकृत दस्तावेज द्वारा दिया जा सकता है। वादी का यह मामला नहीं है कि पंजाब राज्य में मौखिक उपहार हो सकता है और ट्रांसफ़र ऑफ़ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 123 के प्रावधान उसपे लागू नहीं होते हैं। *मलकियत सिंह बनाम ग्राम पंचायत*[4] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मौखिक दान भी ट्रांसफ़र ऑफ़ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत वैध होना आवश्यक है। पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के तहत, अचल संपत्ति में अधिकार मूल मालिक द्वारा केवल पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से छोड़ा या हस्तांतरित किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में ऐसा कोई पंजीकृत दस्तावेज नहीं है। इसलिए, वादी ज्ञानी राम की कथित स्वीकारोक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने वादी के पक्ष में अपना अधिकार हस्तांतरित

---

1 ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 481

2 ए. आई. आर. 19.66 एस. सी. 1836

3 ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 807

4 ए. आई. आर. 1974 पी एंड एच 28

कर दिया था।चूंकि १०० रुपये से अधिक की संपत्ति का कोई मौखिक हस्तांतरण नहीं हो सकता है इसलिए ऐसी स्वीकृति कानून में मान्य नहीं है और यह वादी के पक्ष में किसी अचल संपत्ति में कोई हित, हक़ या अधिकार पैदा नहीं करती है।

(4) वादी-अपीलार्थियों के विद्वान-अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादी के पक्ष में ज्ञानी राम द्वारा मौखिक त्याग किया जा सकता है। जब संपत्ति की कीमत १००रुपये से अधिक हो तो पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के तहत मौखिक त्याग भी पंजीकृत दस्तावेज से किया जाना चाहिए।

(5) केवल प्रतिवादी के स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय एक डिक्री पारित करने के लिए बाध्य नहीं है। वादि के दावे की जांच करना न्यायालय का कर्तव्य है और यह भी की क्या वादी वाद में किए गए कथनों के आधार पर सफल हो सकता है। भले ही वाद एक-पक्षीय हो, अदालत वादी के दावे के संबंध में खुद को संतुष्ट किए बिना डिक्री पारित नहीं कर सकती। यदि न्यायालय वादपत्र के आधार पर वादी का कोई कॉज ऑफ़ एक्शन नहीं पाती तो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद को अनिवार्य रूप से खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(6) इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 12 नियम 6 न्यायालय को स्वीकृति के आधार पर डिक्री देने में सक्षम बनाता है। लेकिन न्यायालय प्रतिवादी द्वारा केवल स्वीकार किए जाने के आधार पर डिक्री पारित करने के लिए बाध्य नहीं है। आदेश 12 नियम 6 केवल एक समर्थकारी प्रावधान है।इसमें यह प्रावधान नहीं है कि स्वीकृति के आधार पर मुकदमे में की गई प्रार्थना के संदर्भ में हमेशा डिक्री दी जाए। न्यायालय का यह देखना कर्तव्य है कि क्या वादी मांगी गई राहत कानून के तहत प्राप्त करने का हकदार है। न्यायालय को यह भी देखना चाहिए कि क्या यह मुकदमा स्टाम्प अधिनियम, पंजीकरण अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम या सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक नीति आदि से संबंधित किसी अन्य कानून के प्रावधानों को विफल करने के लिए कपटपूर्ण तो नहीं है। उदाहरण के लिए, एक संविदा को लागू करने के लिए एक मुकदमा दायर किया जाता है जो सार्वजनिक नीति के खिलाफ है या कानून के विपरीत है और प्रतिवादी मुकदमे में दावे को स्वीकार कर लेता है। ऐसे मामले में अदालत ऐसी संविदा को लागू करने में अपनी मदद नहीं करेगी क्योंकि यह अमान्य है और संविदा अधिनियम की धारा 23 द्वारा निषिद्ध या सार्वजनिक नीति के विरोध में है। न्यायालय को पक्षकारों की स्वीकृति या सहमति के आधार पर यंत्रवत रूप से डिक्री पारित नहीं करनी चाहिए।

(7) जैसा कि *कैसर वर्धा रेड्डी बनाम मानवत राव*[5] में हैदराबाद हाई कोर्ट की एक खंड पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है की यह कानून का सर्वविदित सिद्धांत है कि पक्षों की सहमति क़ानून को अधिभावी नहीं कर सकती। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 12 नियम 6 में निहित समान प्रावधान पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति काकविचे ने एक सदी पहले उत्पन्न हुए एक मामले में निर्णय दिया कि स्वीकृति के आधार पर निर्णय अधिकार नहीं है, बल्कि न्यायालय के विवेकाधिकार में है (*री राइट, किर्की बनाम नार्थ*[6]) ।यही दृष्टिकोण कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा *जे. सी. गैलस्टाउन बनाम ईडी ससून एंड कंपनी लिमिटेड*[7] में लिया गया था। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 12 नियम 6 पर विचार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि स्वीकृति या सहमति पर निर्णय पारित करने की न्यायालय की

---

5 ए. आई. आर. 1951 हैदराबाद 63

6 1895 (2) सीएच. डी. 747

7 ए. आई. आर. 1994 कैल. 190

शक्ति विवेकाधीन है और इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। मैसर्स शिमला *होलसेल मार्ट बनाम मैसर्स वैष्णो दास किशोरी लाई भल्ला और अन्य* [8] में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आदेश 12 नियम 6 सी. पी. सी. के तहत प्रवेश पर निर्णय विवेक के मामले हैं न कि अधिकार के।

(8) इसलिए, यह तर्क देना व्यर्थ है कि प्रत्येक मामले में जहां प्रतिवादी वादी के दावे को स्वीकार करता है , स्वीकृति या सहमति के आधार पर डिक्री पारित की जानी चाहिए।

(9) प्रस्तुत मामले में, अपीलकर्ताओं का दावा, हालांकि प्रतिवादी द्वारा स्वीकृत है, परंतु भारतीय स्टाम्प अधिनियम, भारतीय पंजीकरण अधिनियम और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अदालतें स्वीकार किए जाने के आधार पे किसी भी दावे पर विचार नहीं करेंगी, जो सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाता है या कानून द्वारा निषिद्ध हो या कानून के किसी भी प्रावधान को विफल कर देता हो और अनैतिक या सार्वजनिक नीति का विरोध करता हो।

(10) उक्त तथ्यों के दृष्टिकोण में मुझे निचली अदालतों के डिक्री और निर्णयों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार प्रार्टित नहीं होता।

(11) इसलिए अपील ख़ारिज की जाती है और तदनुसार निराकृत की जाती है।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि यह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्यावहारिक और आपराधिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

हिमांशु आर्य

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा

[8] ए. आई. आर. 1977 एच. पी. 29